

F.No. 15-229/NMA/HBL-2022
Government of India
Ministry of Culture
National Monuments Authority

PUBLIC NOTICE

It is brought to the notice of public at large that the draft Heritage Bye-Laws of Centrally Protected Monument “**The carvings inscriptions and pillar on the Urbasi Island, Locality Gauhati, District, Kamrup, Assam**” have been prepared by the Competent Authority, as per Section 20(E) of Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958. In terms of Rule 18 (2) of National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of the Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, the above proposed Heritage Bye-Laws are uploaded on the following websites for inviting objections or suggestions from the Public:

- i. National Monuments Authority www.nma.gov.in
- ii. Archaeological Survey of India www.asi.nic.in
- iii. Archaeological Survey of India, Guwahati Circle www.asiguwahaticircle.gov.in

2. Any person having any objections or suggestions may send the same in writing to Member Secretary, National Monuments Authority, 24, Tilak Marg, New Delhi- 110001 or mail at the email ID ms-nma@nic.in and arch-section@nma.gov.in latest by 22nd January, 2023. The person making objections or suggestion should also give their name, address and mobile number.

3. In terms of Rule 18(3) of National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of the Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, the Authority may decide on the objections or suggestions so received before the expiry of the period of 30 days i.e. 22nd January, 2023 in consultation with Competent Authority and other Stakeholders.


Marwaha
22 Dec 22

(Col. Savyasachi Marwaha)
Director, NMA



भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL MONUMENTS AUTHORITY



उर्वशी द्वीप पर उत्कीर्णन, शिलालेख और स्तंभ", स्थान- गुवाहाटी, जिला- कामरूप,
असम

The carvings, inscriptions and pillar on the Urbasi Island", Locality- Gauhati,
District- Kamrup, Assam

विषयवस्तु		
अध्याय I		
प्रारंभिक		
1.0	संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ	08
1.1	परिभाषाएँ	08
अध्याय II		
प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की पृष्ठभूमि		
2.0	अधिनियम की पृष्ठभूमि	12
2.1	धरोहर उप-विधियों से संबंधित अधिनियम के उपबंध	12
2.2	आवेदक के अधिकार और जिम्मेदारियां (नियमों के अनुसार)	12
अध्याय III		
उर्वशी द्वीप पर उत्कीर्णन, शिलालेख और स्तंभ", स्थान- गुवाहाटी, जिला- कामरूप, असम		
3.0	स्मारक का स्थान एवं अवस्थिति	14
3.1	स्मारक की संरक्षित चारदीवारी	15
	3.11 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रिकार्ड के अनुसार अधिसूचना मानचित्र / योजना:	15
3.2	स्मारक का इतिहास	15
3.3	स्मारक का विवरण (वास्तुशिल्पीय विशेषताएं, तत्व, सामग्रियाँ आदि)	16
3.4	वर्तमान स्थिति	16
	3.4.1 स्मारक की स्थिति- स्थिति का आकलन	16
	3.4.2 प्रतिदिन आने वाले और कभी-कभार एकत्रित होने वाले आगंतुकों की संख्या	16
अध्याय IV		
स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में, विद्यमान क्षेत्रीकरण, यदि कोई हो		
4.0	स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में विद्यमान क्षेत्रीकरण	17
4.1	गुवाहाटी महानगर क्षेत्र के लिए मास्टर प्लान- 2025 के अनुसार स्थानीय निकायों के वर्तमान दिशा-निर्देश (संलग्नक II)	17
अध्याय V		

प्रथम अनुसूची, और टोटल स्टेशन सर्वेक्षण के अनुसार सूचना		
5.0	स्मारक की रूपरेखा	17
5.1	सर्वेक्षित आँकड़ों का विश्लेषण	17
	5.1.1 प्रतिषिद्ध क्षेत्र और विनियमित क्षेत्र का विवरण	17
	5.1.2 निर्मित क्षेत्र का विवरण	18
	5.1.3 हरित/खुले क्षेत्रों का विवरण	18
	5.1.4 परिसंचरण के अंतर्निहित आवृत्त क्षेत्र- सड़क, पैदल पथ आदि	18
	5.1.5 भवनों की ऊँचाई (क्षेत्रवार)	18
	5.1.6 राज्य संरक्षित स्मारक और सूचीबद्ध विरासत भवन	18
	5.1.7 सार्वजनिक सुविधाएं	19
	5.1.8 स्मारकों तक पहुँच	19
	5.1.9 अवसंरचनात्मक सेवाएं	19
	5.1.10 प्रस्तावित क्षेत्रीकरण (स्थानीय निकाय के दिशा निर्देशों के अनुसार क्षेत्र)	19
अध्याय VI		
स्मारक की वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक मूल्य		
6.0	ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व	19
6.1	स्मारकों की संवेदनशीलता	20
6.2	संरक्षित स्मारकों अथवा क्षेत्र से दृश्य और विनियमित क्षेत्र से दिखाई देने वाला दृश्य	20
6.3	पहचान किये जाने वाले भू-प्रयोग	20
6.4	संरक्षित स्मारकों के अतिरिक्त पुरातात्विक धरोहर अवशेष	20
6.5	सांस्कृतिक भूदृश्य	20
6.6	महत्वपूर्ण प्राकृतिक भूदृश्य	20

6.7	खुले स्थान तथा निर्मित भवन का उपयोग	20
6.8	परंपरागत, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ	20
6.9	स्मारकों एवं विनियमित क्षेत्रों से दृश्यमान क्षितिज	20
6.10	स्थानीय वास्तुकला	20
6.11	स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा उपलब्ध विकासात्मक योजना	20
6.12	भवन संबंधी मापदंड	21
6.13	पर्यटक सुविधाएं और साधन	21
	अध्याय VII स्थल विशिष्ट संस्तुतियां	
7.1	स्थल विशिष्ट संस्तुतियां	22
7.2	अन्य संस्तुतियाँ	22

CONTENTS		
CHAPTER I PRELIMINARY		
1.0	Notification and Short title, Extent and Commencement	23
1.1	Definitions	23
CHAPTER II BACKGROUND OF THE ANCIENT MONUMENTS AND ARCHAEOLOGICAL SITES AND REMAINS (AMASR) ACT, 1958		
2.0	Background of the Act	26
2.1	Provision of Act related to Heritage Bye-Laws	26
2.2	Rights and Responsibilities of Applicant(as laid down in Rules)	26
CHAPTER III LOCATION AND SETTING OF CENTRALLY PROTECTED MONUMENTS OF The CARVINGS, INSCRIPTIONS AND PILLAR ON THE URBASI ISLAND”,LOCALITY- GAUHATI, DISTRICT- KAMRUP, ASSAM		
3.0	Location and Setting of the Monument	27
3.1	Protected boundary of the Monument	27
	3.1.1 Notification Map/ Plan as per ASI records:	27
3.2	History of the Monument	28
3.3	Description of Monument (Architectural features, Elements, Materials etc.)	28
3.4	Current Status:	
	3.4.1 Condition of Monument – condition assessment	28
	3.4.2 Daily footfalls and Occasional gathering numbers	28
CHAPTER IV EXISTING ZONING, IF ANY, IN THE LOCAL AREA DEVELOPMENT PLAN		
4.0	Existing Zoning in the local area development plans	29
4.1	Existing Guidelines of the local bodies as per Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhnyam,1973	29
CHAPTER V INFORMATION AS PER FIRST SCHEDULE AND TOTAL STATION SURVEY		
5.0	Contour Plan of the Monument	29
5.1	Analysis of surveyed data:	29
	5.1.1 Prohibited Area and Regulated Area details	29
	5.1.2 Description of built up area	29

	5.1.3 Description of green/open spaces	30
	5.1.4 Area covered under circulation – roads, footpaths etc.	30
	5.1.5 Height of buildings (zone-wise)	30
	5.1.6 State protected monuments and listed Heritage Buildings	30
	5.1.7 Public amenities	30
	5.1.8 Access to monuments	30
	5.1.9 Infrastructure services	30
	5.1.10 Proposed zoning of the	30
	CHAPTER VI ARCHITECTURAL, HISTORICAL AND ARCHAEOLOGICAL VALUE OF THE MONUMENT	
6.0	Historical and archaeological value	31
6.1	Sensitivity of the monuments	31
6.2	Visibility from the protected monuments or area and visibility from Regulated Area	31
6.3	Land-use to be identified	31
6.4	Archaeological heritage remains other than protected monuments	31
6.5	Cultural landscapes	31
6.6	Significant natural landscapes	31
6.7	Usage of open space and constructions	31
6.8	Traditional, historical and cultural activities	31
6.9	Skyline as visible from the monuments and from Regulated Areas	31
6.10	Vernacular architecture	32
6.11	Developmental plan as available by the local authorities	32
6.12	Building related parameters	32
6.13	Visitor facilities and amenities	32
	CHAPTER VII SITE SPECIFIC RECOMMENDATIONS	
7.1	Local governance and Heritage Management	33
7.2	Other Site Specific Recommendations	33

	संलग्नक/ ANNEXURES	
संलग्नक- I	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रिकॉर्ड के अनुसार अधिसूचना मानचित्र - संरक्षित सीमाओं की परिभाषा	34
Annexure- I	Notification Map as per ASI records – definition of Protected Boundaries	34
संलग्नक- II	संस्मारक की अधिसूचना	35
Annexure- II	Notification of the Monument	35
संलग्नक- III	स्थानीय निकाय दिशा निदेश	36
Annexure- III	Local Bodies Guidelines	40
संलग्नक- IV	उर्वशी द्वीप पर उत्कीर्णन, शिलालेखों और स्तंभों के लिए संरक्षित, प्रतिषिद्ध और विनियमित सीमाओं को दर्शाने वाली सर्वेक्षण योजना, स्थान: गुवाहाटी, जिला: कामरूप, असम	43
Annexure- IV	Survey plan showing protected, prohibited and regulated boundaries for The carvings, inscriptions and pillars on the Urbasi island, Locality: Gauhati, District: Kamrup, Assam	43
संलग्नक- V	स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई विकास योजना	44
Annexure- V	Development plan as provided by the local authorities	44
संलग्नक- VI	स्मारक उर्वशी द्वीप पर उत्कीर्णन, शिलालेख और स्तंभ", एवं उसके आसपास के चित्र: स्थान- गुवाहाटी, जिला- कामरूप, असम	45
Annexure- VI	Images of the Monument The carvings, inscriptions and pillar on the Urbasi Island", Locality- Guwahati, District- Kamrup, Assam and its Surroundings	45

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (धरोहर उप-विधि विनिर्माण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम 2011 के नियम (22) के साथ पठित प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 20 ड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय संरक्षित संस्मारक, "उर्वशी द्वीप पर उत्कीर्णन, शिलालेख और स्तंभ", स्थान- गुवाहाटी, जिला- कामरूप, असम" के लिए निम्नलिखित प्रारूप धरोहर उप-विधि जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार किया गया है, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें और कार्य निष्पादन), नियमावली, 2011 के नियम 18, उप नियम (2) द्वारा यथा अपेक्षित जनता से आपत्ति या सुझाव आमंत्रित करने के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

अधिस्चना के प्रकाशन के तीस दिनों के अंदर आपत्ति या सुझाव, यदि कोई हो, को सदस्य सचिव, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (संस्कृति मंत्रालय), 24, तिलक मार्ग, नई दिल्ली के पास भेजा जा सकता है अथवा hbl-section@nma.gov.in पर ई-मेल किया जा सकता है।

उक्त प्रारूप उप-विधि के संबंध में किसी व्यक्ति से यथाविनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले प्राप्त आपत्ति या सुझावों पर राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप धरोहर उप -विधि

अध्याय I

प्रारंभिक

1.0 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ:-

- (i) इन उप-विधियों को केंद्रीय संरक्षित स्मारक, "उर्वशी द्वीप पर उत्कीर्णन, शिलालेख और स्तंभ", स्थान- गुवाहाटी, जिला- कामरूप," के लिए राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण धरोहर उप-विधि, 2022 कहा जाएगा।
- (ii) ये स्मारक के सम्पूर्ण प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र तक लागू होंगी।
- (iii) ये अधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगी।

1.1 परिभाषाएं :-

- (1) इन उप-विधियों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

- (क) “प्राचीन संस्मारक” से कोई संरचना, रचना या संस्मारक, या कोई स्तूप या स्थान या दफ़नगाह या कोई गुफा, शैल-मूर्ति, शिला-लेख या एकात्मक जो ऐतिहासिक, पुरातत्वीय या कलात्मक रुचि का है और जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान है, अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत हैं -
- (i) किसी प्राचीन संस्मारक के अवशेष,
- (ii) किसी प्राचीन संस्मारक का स्थल,
- (iii) किसी प्राचीन संस्मारक के स्थल से लगी हुई भूमि का ऐसा भाग जो ऐसे संस्मारक को बाड़ से घेरने या आच्छादित करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो, तथा
- (iv) किसी प्राचीन संस्मारक तक पहुंचने और उसके सुविधाजनक निरीक्षण के साधन;
- (ख) “पुरातत्वीय स्थल और अवशेष” से कोई ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसमें ऐतिहासिकया पुरातत्वीय महत्व के ऐसे भग्नावशेष या अवशेष हैं या जिनके होने का युक्तियुक्तरूप से विश्वास किया जाता है, जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान है, और इनके अंतर्गत हैं-
- (i) उस क्षेत्र से लगी हुई भूमि का ऐसा भाग जो उसे बाड़ से घेरने या आच्छादित करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो, तथा
- (ii) उस क्षेत्र तक पहुंचने और उसके सुविधापूर्ण निरीक्षण के साधन;
- (ग) “अधिनियम” से आशय प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) है;
- (घ) “पुरातत्व अधिकारी” से भारत सरकार के पुरातत्व विभाग का कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो सहायक अधीक्षण पुरातत्वविद् से निम्नतर पद (श्रेणी) का नहीं है;
- (ड.) “प्राधिकरण” से अधिनियम की धारा 20च के अधीन गठित राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण अभिप्रेत है;
- (च) “सक्षम प्राधिकारी” से केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पुरातत्व निदेशक या पुरातत्व आयुक्त की श्रेणी से नीचे न हो या समतुल्य श्रेणी का ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सक्षम प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो:

बशर्ते कि केंद्र सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, धारा 20ग, 20घ और 20ड के प्रयोजन के लिए भिन्न भिन्न सक्षम प्राधिकारी विनिर्दिष्ट कर सकेगी;

- (छ) “निर्माण” से किसी संरचना या भवन का कोई परिनिर्माण अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत उसमें ऊर्ध्वाकार या क्षैतिजीय कोई परिवर्धन या विस्तारण भी है, किन्तु इसके अंतर्गत किसी विद्यमान संरचना या भवन का कोई पुनःनिर्माण, मरम्मत और नवीकरण या नालियों और जलनिकास सुविधाओं तथा सार्वजनिक शौचालयों, मूत्रालयों और इसी प्रकार की सुविधाओं का निर्माण, अनुरक्षण और सफाई या जनता के लिए जलापूर्ति की व्यवस्था करने के लिए आशयित सुविधाओं का निर्माण और अनुरक्षण या जनता के लिए विद्युत की आपूर्ति और वितरण के लिए निर्माण या अनुरक्षण, विस्तारण, प्रबंध या जनता के लिये इसी प्रकार की सुविधाओं के लिए व्यवस्था शामिल नहीं हैं;
- (ज) “तल क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.) से आशय सभी तलों के कुल आवृत क्षेत्र का (पीठिका क्षेत्र) भूखंड (प्लॉट) के क्षेत्रफल से भाग करके प्राप्त होने वाले भागफल से अभिप्रेत है;
- तल क्षेत्र अनुपात = भूखंड क्षेत्र द्वारा विभाजित सभी तलों का कुल आवृत क्षेत्र;
- (झ) “सरकार” से आशय भारत सरकार से है;
- (ञ) अपने व्याकरणिक रूपों और सजातीय पदों सहित “अनुरक्षण” के अंतर्गत हैं किसी संरक्षित संस्मारक को बाड़ से घेरना, उसे आच्छादित करना, उसकी मरम्मत करना, उसका पुनरुद्धार करना और उसकी सफाई करना, और कोई ऐसा कार्य करना जो किसी संरक्षित संस्मारक के परिरक्षण या उस तक सुविधाजनक पहुंच को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक है;
- (ट) “स्वामी” के अंतर्गत हैं-
- (i) संयुक्त स्वामी जिसमें अपनी ओर से तथा अन्य संयुक्त स्वामियों की ओर से प्रबंध करने की शक्तियाँ निहित हैं और किसी ऐसे स्वामी के हक-उत्तराधिकारी, तथा
- (ii) प्रबंध करने की शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई प्रबंधक या न्यासी और ऐसे किसी प्रबंधक या न्यासी का पद में उत्तराधिकारी;
- (ठ) “परिरक्षण” से आशय किसी स्थान की विद्यमान स्थिति को मूलरूप से बनाए रखना और खराब होती स्थिति की गति को धीमा करना है;

- (ड) “प्रतिषिद्ध क्षेत्र” से धारा 20क के अधीन प्रतिषिद्ध क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट क्षेत्र या घोषित किया गया कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;
- (ढ) “संरक्षित क्षेत्र” से कोई ऐसा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया है;
- (ण) “संरक्षित संस्मारक” से कोई ऐसा प्राचीन संस्मारक अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया है;
- (त) “विनियमित क्षेत्र” से धारा 20ख के अधीन विनिर्दिष्ट या घोषित किया गया कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;
- (थ) “पुनःनिर्माण” से किसी संरचना या भवन का उसकी पूर्व विद्यमान संरचना में ऐसा कोई परिनिर्माण अभिप्रेत है, जिसकी क्षैतिज और ऊर्ध्वाकार सीमाएं समान हैं;
- (द) “मरम्मत और पुनरुद्धार” से किसी पूर्व विद्यमान संरचना या भवन के परिवर्तन अभिप्रेत हैं, किन्तु इसके अंतर्गत निर्माण या पुनःनिर्माण नहीं होंगे।
- (2) इसमें प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का आशय वही अर्थ होगा जैसा अधिनियम में समनुदेशित किया गया है।

अध्याय II

प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम,1958 की पृष्ठभूमि (ए.एम.ए.एस.आर.) अधिनियम, 1958

2. **अधिनियम की पृष्ठभूमि :** धरोहर उप-विधियों का उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारकों की सभी दिशाओं में 300 मीटर के अंदर भौतिक, सामाजिक और आर्थिक दखल के बारे में मार्गदर्शन देना है। 300 मीटर के क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया है (i) प्रतिषिद्ध क्षेत्र, यह क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र अथवा संरक्षित स्मारक की सीमा से शुरू होकर सभी दिशाओं में एक सौ मीटर की दूरी तक फैला है और (ii) विनियमित क्षेत्र, यह क्षेत्र प्रतिषिद्ध क्षेत्र की सीमा से शुरू होकर सभी दिशाओं में दो सौ मीटर की दूरी तक फैला है।

अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति संरक्षित क्षेत्र और प्रतिषिद्ध क्षेत्र में किसी प्रकार का निर्माण अथवा खनन का कार्य नहीं कर सकता जबकि ऐसा कोई भवन अथवा संरचना जो प्रतिषिद्ध क्षेत्र में 16 जून,1992 से पूर्व मौजूद था अथवा जिसका निर्माण बाद में महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अनुमति से हुआ था, विनियमित क्षेत्र में किसी भवन अथवा संरचना निर्माण, पुनःनिर्माण, मरम्मत अथवा पुनरुद्धार की अनुमति सक्षम प्राधिकारी से लेना अनिवार्य है।

- 2.1 **धरोहर उप-विधियों से संबंधित अधिनियम के उपबंध :** प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम,1958, धारा 20ड और प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष(धरोहर उप-विधियों का विनिर्माण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम 2011, नियम 22 में केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारकों के लिए उप नियम बनाना विनिर्दिष्ट है। नियम में धरोहर उप-विधि बनाने के लिए पैरामीटर का प्रावधान है। राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें तथा कार्य निष्पादन) नियम, 2011, नियम 18 में प्राधिकरण द्वारा धरोहर उप-विधियों को अनुमोदन की प्रक्रिया विनिर्दिष्ट है।

- 2.2 **आवेदक के अधिकार और जिम्मेदारियां:** प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 20ग में प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मरम्मत और पुनरुद्धार अथवा विनियमित क्षेत्र में निर्माण अथवा पुनर्निर्माण अथवा मरम्मत या पुनरुद्धार के लिए आवेदन का विवरण नीचे दिए गए विवरण के अनुसार विनिर्दिष्ट है:

(क) कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे भवन अथवा संरचना का स्वामी है जो 16 जून,1992 से पहले प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मौजूद था अथवा जिसका निर्माण इसके उपरांत महानिदेशक के अनुमोदन से हुआ था तथा जो ऐसे भवन अथवा संरचना का किसी प्रकार की मरम्मत अथवा पुनरुद्धार का काम कराना चाहता है, जैसा भी स्थिति हो,ऐसी मरम्मत और पुनरुद्धार को कराने के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन करसकता है।

- (ख) कोई व्यक्ति जिसके पास किसी विनियमित क्षेत्र में कोई भवन अथवा संरचना अथवा भूमि है और वह ऐसे भवन अथवा संरचना अथवा जमीन पर कोई निर्माण, अथवा पुनःनिर्माण अथवा मरम्मत अथवा पुनरुद्धार का कार्य कराना चाहता है, जैसी भी स्थिति हो, निर्माण अथवा पुनःनिर्माण अथवा मरम्मत अथवा पुनरुद्धार के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है।
- (ग) सभी संबंधित सूचना प्रस्तुत करने तथा राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा की शर्तें और कार्य संचालन) नियम, 2011 के अनुपालन की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।


अध्याय III

केंद्रीय संरक्षित स्मारक -उर्वशी द्वीप पर उत्कीर्णन, शिलालेख और स्तंभ", स्थान- गुवाहाटी, जिला-
कामरूप, असम'' का स्थान एवं अवस्थिति

3.0 स्मारक का स्थान और अवस्थिति-:

- यह जी.पी.एस. निर्देशांक: $26^{\circ}11'26.93''N$; उत्तरी अक्षांश एवं $91^{\circ}44'59.40''E$ पूर्वी देशांतर पर स्थित है।
- छोटी नदी द्वीप, उर्वशी द्वीप (वर्तमान में उर्वशी द्वीप के रूप में जाना जाता है) उत्तरी गुवाहाटी में बरुआ सूक में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट के बीच स्थित है।
- यहां उमानंद फेरी घाट से नाव द्वारा पहुंचा जा सकता है।
- गुवाहाटी बस स्टेशन उमानंद नौका घाट से लगभग 11 किमी की दूरी पर है।
- गुवाहाटी रेलवे स्टेशन घाट से 3 किमी दक्षिण में है।
लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई (गुवाहाटी) हवाई अड्डा स्मारक के पश्चिम में 27 किमी दूर है।

उर्वशी द्वीप पर उत्कीर्णन, शिलालेख और स्तंभ", स्थान- गुवाहाटी, जिला- कामरूप, असम



संरक्षित, प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र, गुवाहाटी, जिला - कामरूप, असम के साथ-साथ उर्वशी द्वीप पर उत्कीर्णन, शिलालेखों और स्तंभों का स्थान दिखाने वाला गूगल मानचित्र।

3.1 स्मारक की संरक्षित चारदीवारी:

इसे अनुबंध-I में देखा जा सकता है।

3.1.1. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अभिलेख (रिकॉर्ड) के अनुसार अधिसूचना मानचित्र / योजना:

इसे अनुबंध-II में देखा जा सकता है।

3.2. स्मारक का इतिहास :

9वीं शताब्दी ईस्वी के कालिकापुराण में कहा गया है कि उमानंद, उर्वशी और कर्मनाशा के तीन द्वीपों ने भस्मचला के नाम से एक भूभाग का निर्माण किया, और बीच में उर्वशी कुंड (चौधरी, 1985) मौजूद था। 16 वीं शताब्दी के योगिनी तंत्र ने कहा है कि एक प्राकृतिक आपदा के कारण उर्वशी कुंड को ब्रह्मपुत्र द्वारा नष्ट कर दिया गया था और नदी की धारा धीमी हो गई थी, जो भस्मचला के तीन द्वीपों के विघटन के परिणामस्वरूप अपने तटों (मार्गों) को चौड़ा करने का संकेत दे रही थी। इन तीन द्वीपों के नाम लोगों पर उनके गहरे धार्मिक-सांस्कृतिक प्रभाव के

साथ अत्यधिक पौराणिक महत्व रखते हैं। वे असम को भारतीय महाकाव्यों से जोड़ने वाले लोकप्रिय पौराणिक प्रसंगों से जुड़े हुए हैं और राष्ट्रीय एकता के प्रेरक स्रोत हैं।

3.3 स्मारक का विवरण (वास्तुकला विशेषताएं, तत्व, सामग्री आदि):-

स्मारक की चट्टानों पर महत्वपूर्ण संख्या में मूर्तिकला उत्कीर्णन, शिलालेख और प्रतिमायें हैं। सूर्य की प्रतिमायें; हाथ जोड़कर देवी; कमल के साथ शिव लिंग; नंदी और भक्त के साथ शिव; गणेश की बैठी हुई प्रतिमा, दो भक्तों के साथ विष्णु और दशावतार (विष्णु के दस अवतार) के पैनल को चट्टानों पर खूबसूरती से उकेरा गया है। ब्राह्मी और नागरी वर्णों में उत्कीर्ण दो अन्य शिलालेख हैं। कुछ उत्कीर्णित संरेखण, शैलोत्खनित सोपान और छोटे छिद्र के निशान भी हैं, जो शायद लोहे के क्लैप और लकड़ी के स्तम्भों या कीलों के लिए हैं। संरेखण, सोपान और छिद्र इस स्थल पर पहले के मंदिर के अस्तित्व का संकेत देते हैं। कमल के साथ शिव लिंग इंगित करता है कि मंदिर का अपना गर्भगृह और मंडप था। इस मंदिर का अर्धगोलाकार विन्यास अभी भी प्रमुख है और इसके उत्तर में इस मंदिर की ओर जाने वाला शैलोत्खनित सीढियों वाला मार्ग अभी भी देखा जा सकता है।

3.4. वर्तमान स्थिति

3.4.1. स्मारक की स्थिति स्थिति का –आकनल

स्मारक संरक्षण की एक अच्छी स्थिति में है, इस तथ्य के बावजूद कि यह वर्ष के लगभग आधे (9 महीने) पानी के नीचे डूबा रहता है और थोड़े समय के लिए फिर से पानी के नीचे से निकलता है। यह ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट के बीच, उत्तर में उमानंद द्वीप और दक्षिण-पश्चिम में कर्मनाशा द्वीप के बीच स्थित है।

3.4.2. प्रतिदिन एवं यदा -कदा आने वाले आगंतुकों की संख्या:

स्मारक में स्थानीय पर्यटकों और आगंतुकों की अनुमति नहीं है, हालांकि उमानंद नौका घाट से उमानंद द्वीप तक एक नौका चलती है।

अध्याय IV

स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं में विद्यमान क्षेत्रीकरण, यदि कोई हो

4.0. विद्यमान क्षेत्रीकरण :

(क) गुवाहाटी महानगर क्षेत्र के लिए व्यापक मास्टर प्लान, 2025 के अनुसार:

- i. मौजूदा प्रमुख भूमि उपयोग मानचित्र में - स्मारक को "खुली जगह/मनोरंजन/खाली भूमि" के तहत रखा गया है, जिसे - 'खाली भूमि' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
- ii. प्रस्तावित भूमि उपयोग क्षेत्रिय योजना-2025 में उर्वशी द्वीप के विनियमित क्षेत्र में गुवाहाटी शहर और उत्तरी गुवाहाटी को जोड़ने के लिए एक हवाई रोपवे प्रस्तावित है।

(ख) स्थानीय अधिनियम में कोई विशिष्ट क्षेत्रीकरण नहीं किया गया है।

4.1. स्थानीय निकायों के विद्यमान दिशा: निर्देश-

इसे अनुबंध-III में देखा जा सकता है।

अध्याय V

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अभिलेख (रिकार्ड) में परिभाषित सीमाओं के आधार पर प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों की प्रथम अनुसूची नियम 21 (1) / टोटल स्टेशन सर्वेक्षण के अनुसार सूचना

5.0 रूपरेखा योजना

उर्वशी द्वीप, स्थान- गुवाहाटी, जिला- कामरूप, असम पर उत्कीर्णनों, शिलालेखों और स्तंभों की सर्वेक्षण योजना अनुबंध-IV में देखी जा सकती है।

5.1.सर्वेक्षित आंकड़ों का विश्लेषण

5.1.1. प्रतिषिद्ध क्षेत्र और विनियमित क्षेत्र का विवरण:

- संरक्षित क्षेत्र (लगभग): 380405 वर्ग मीटर (94 एकड़)
- प्रतिबंधित क्षेत्र (लगभग): 5445914.47 वर्ग मीटर (1345 एकड़)
- विनियमित क्षेत्र (लगभग): 24852023 वर्ग मीटर (6141 एकड़)

मुख्य विशेषताएं :

यह स्मारक ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट के बीच, उत्तर में उमानंद द्वीप और दक्षिण-पश्चिम में कर्मनाशा द्वीप के बीच स्थित है। इस नदी के दोनों किनारों पर अच्छी संख्या में शैलोत्खनित मूर्तियां हैं।

5.1.2. निर्मित क्षेत्र का विवरण

- प्रतिषिद्ध क्षेत्र
 - उत्तर: ब्रह्मपुत्र नदी
 - दक्षिण: ब्रह्मपुत्र नदी
 - पूर्व: ब्रह्मपुत्र नदी
 - पश्चिम: ब्रह्मपुत्र नदी
- विनियमित क्षेत्र
 - उत्तर: उमानंद द्वीप, ब्रह्मपुत्र नदी
 - दक्षिण: कर्मनाशा द्वीप, ब्रह्मपुत्र नदी
 - पूर्व: ब्रह्मपुत्र नदी
 - पश्चिम: ब्रह्मपुत्र नदी

5.1.3. हरित खुले क्षेत्रों का विवरण:

- प्रतिषिद्ध क्षेत्र:
 - उत्तर: ब्रह्मपुत्र नदी
 - दक्षिण: ब्रह्मपुत्र नदी
 - पूर्व: ब्रह्मपुत्र नदी
 - पश्चिम: ब्रह्मपुत्र नदी
- विनियमित क्षेत्र:
 - उत्तर: उमानंद द्वीप, ब्रह्मपुत्र नदी
 - दक्षिण: कर्मनाशा द्वीप, ब्रह्मपुत्र नदी
 - पूर्व: ब्रह्मपुत्र नदी
 - पश्चिम: ब्रह्मपुत्र नदी

5.1.4 परिसंचरण के अंतर्निहित आवृत्त क्षेत्र सड़के – पैदलपथ आदि।

स्मारक के चारों ओर 1.2 किमी तक कोई सड़क और रास्ते नहीं हैं, क्योंकि यह नदी क्षेत्र में है।

5.1.5 भवनों की ऊंचाई (क्षेत्र-वार):

- उत्तर: अधिकतम ऊंचाई 0 मीटर है
- दक्षिण: अधिकतम ऊंचाई 0 मीटर है
- पूर्व: अधिकतम ऊंचाई 0 मीटर है
- पश्चिम: अधिकतम ऊंचाई 0 मीटर है

5.1.6 प्रतिषिद्ध/विनियमित क्षेत्र के अंतर्गत राज्य द्वारा संरक्षित स्मारक और स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा सूचीबद्ध धरोहर भवन, यदि उपलब्ध हों :

उमानंद मंदिर (स्मारक के उत्तर), एक राज्य संरक्षित स्मारक है।

5.1.7 सार्वजनिक सुविधाएं :

स्मारक पर कोई सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

5.1.8 स्मारक तक पहुंच :

ब्रह्मपुत्र के तीन चट्टानी द्वीप - कर्मनाशा, उर्वशी और उमानंद, पुराने शहर के केंद्र से सटे हुए हैं। उमानंद घाट से उमानंद द्वीप तक एक नौका सेवा चलती है। स्मारक पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए बंद है।

5.1.9 अवसंरचनात्मक सेवाएं (जलापूर्ति, वर्षाजल निकास तंत्र, जलमल निकासी-, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पार्किंग आदि)

स्मारक पर कोई बुनियादी ढांचा उपलब्ध नहीं है। चूंकि यह एक चट्टानी द्वीप है जो साल के आधे हिस्से में पानी के नीचे डूबा रहता है, इसलिए, बुनियादी सुविधाओं की सेवाओं का कोई प्रावधान नहीं किया जाता है।

5.1.10 स्थानीय निकायों के दिशानिर्देशों के अनुसार क्षेत्र का प्रस्तावित क्षेत्रीकरण :

जैसा की ऊपर कहा गया है

अध्याय VI

स्मारकों का वास्तु, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व

6.0 वास्तु, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व

स्मारक की चट्टानों पर महत्वपूर्ण संख्या में मूर्तिकला उत्कीर्णन, शिलालेख और प्रतिमायें हैं। सूर्य की प्रतिमायें; हाथ जोड़कर देवी; कमल के साथ शिव लिंग; नंदी और भक्त के साथ शिव; गणेश की बैठी हुई प्रतिमा, दो भक्तों के साथ विष्णु और दशावतार (विष्णु के दस अवतार) के पैनल को चट्टानों पर खूबसूरती से उकेरा गया है। ब्राह्मी और नागरी वर्णों में उत्कीर्ण दो अन्य शिलालेख हैं। कुछ उत्कीर्णित संरेखण, शैलोत्खनित सोपान और छोटे छिद्र के निशान भी हैं, जो शायद लोहे के क्लैप और लकड़ी के स्तम्भों या कीलों के लिए हैं। संरेखण, सोपान और छिद्र इस स्थल पर पहले के मंदिर के अस्तित्व का संकेत देते हैं। कमल के साथ शिव लिंग इंगित करता है कि मंदिर का अपना गर्भगृह और मंडप था। इस मंदिर का अर्धगोलाकार विन्यास अभी भी प्रमुख है और इसके उत्तर में इस मंदिर की ओर जाने वाला शैलोत्खनित सीढ़ियों वाला मार्ग अभी भी देखा जा सकता है।

- 6.1 स्मारक की संवेदनशीलता (उदाहरणार्थ विकासात्मक दबाव, नगरीकरण, जनसंख्या दबाव आदि):
- स्मारक के पास ऐसा कोई विकासात्मक दबाव, निर्माण गतिविधि और अन्य शहरी गतिविधियां नहीं हैं।
- 6.2 संरक्षित स्मारक या क्षेत्र से दृश्यता और विनियमित क्षेत्र से दृश्यता :
- स्मारक चारों ओर से दिखाई देता है।
- 6.3 भूमि उपयोग की पहचान :
- प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र तक, स्मारक के चारों ओर कोई भूमि उपलब्ध नहीं है।
- 6.4 संरक्षित स्मारक के अतिरिक्त पुरातात्विक धरोहर अवशेष :
- उमानंद द्वीप में उमानंद मंदिर असम राज्य सरकार का एक संरक्षित स्मारक है।
- 6.5 सांस्कृतिक परिदृश्य :
- स्मारक के उत्तर में उमानंद द्वीप सांस्कृतिक परिदृश्य का एक और उदाहरण है, जो उर्वशी द्वीप से अलग था।
- 6.6 महत्वपूर्ण प्राकृतिक भू-दृश्य जो सांस्कृतिक परिदृश्य का हिस्सा है और पर्यावरण प्रदूषण से स्मारकों को संरक्षित करने में भी सहायक है:
- स्मारक के बीच बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी स्मारक के लिए एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक परिदृश्य बनाती है। लगभग आधा वर्ष नदी के पानी में डूबे रहने के कारण, हवा और पानी की क्रूरता के कारण उत्कीर्णनों और शिलालेखों का क्षरण हो रहा है।
- 6.7 खुले स्थान और भवनों का उपयोग:
- स्मारक चारों तरफ से 1000 मीटर तक पानी से घिरा हुआ है।
- 6.8 पारंपरिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ:
- स्मारक के आसपास कोई पारंपरिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गतिविधियां प्रचलित नहीं हैं।
- 6.9 स्मारक और विनियमित क्षेत्रों में से दिखाई देने वाला क्षितिज:
- साफ आसमान, आधुनिक भवन और निर्माण गतिविधि, पेड़ और विशाल ब्रह्मपुत्र नदी को स्मारक और विनियमित क्षेत्र से देखा जा सकता है।
- 6.10 पारंपरिक वास्तुकला:
- स्मारक के आसपास कोई पारंपरिक वास्तुकला नहीं है।
- 6.11 स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा यथा उपलब्ध विकास योजना:
- इसे अनुबंध-V में देखा जा सकता है।

6.12 भवन से संबंधी मापदंड :

(क) स्थल पर निर्मित भवन की ऊंचाई (छत के ऊपरी भाग की संरचना जैसे ममटी, मुंडेर आदि सहित) :-

स्मारक के विनियमित क्षेत्र में सभी भवनों की ऊंचाई (आसपास कोई निर्माण गतिविधि नहीं है, क्योंकि यह एक नदी क्षेत्र है।)।

(ख) तल क्षेत्र : आसपास कोई निर्माण गतिविधि नहीं है, क्योंकि यह एक नदी क्षेत्र है।

(ग) उपयोग : आसपास कोई निर्माण गतिविधि नहीं है, क्योंकि यह एक नदी क्षेत्र है।

(घ) अग्रभाग का डिजाइन :- आसपास कोई निर्माण गतिविधि नहीं है, क्योंकि यह एक नदी क्षेत्र है।

(ङ.) छत का डिजाइन :-आसपास कोई निर्माण गतिविधि नहीं है, क्योंकि यह एक नदी क्षेत्र है।

(च) भवन निर्माण सामग्री: आसपास कोई निर्माण गतिविधि नहीं है, क्योंकि यह एक नदी क्षेत्र है।

(छ) रंग:- आसपास कोई निर्माण गतिविधि नहीं है, क्योंकि यह एक नदी क्षेत्र है।

6.13 आगंतुकों हेतु सुख सुविधाएं : स्मारक में कोई आगंतुक सुख सुविधाएं नहीं हैं।

अध्याय VII
स्थल विशिष्ट संस्तुतियां

7.1 स्थल विशिष्ट संस्तुतियां

क) इमारत के चारों ओर छोड़ा गया क्षेत्र (सेटबैक) :-

- सामने के भवन का किनारा, मौजूदा गली की साइड की सीध में ही होना चाहिए। इमारत के चारों ओर छोड़ा गया क्षेत्र (सेटबैक) अथवा आंतरिक प्रांगणों या छतों पर न्यूनतम खुली जगह की अपेक्षाओं को पूरा किया जाना जरूरी है।

ख) निर्माण को आगे बढ़ाने हेतु अनुमति (प्रोजेक्शन)

- सड़क के 'बाधा रहित' रास्ते से आगे भूमि स्तर पर रास्ते की दायीं तरफ में किसी सीढ़ी और पीठिका (प्लिंथ) की अनुमति नहीं दी जाएगी। गलियों को मौजूदा भवन के किनारे की साइड से माप कर 'बाधा रहित' मार्ग के आयामों (लंबाई-चौड़ाई) से जोड़ा जाएगा।

ग) संकेतक

- धरोहर क्षेत्र में साईनेज (सूचनापट्ट) के लिए एल.ई.डी. अथवा डिजिटल चिह्नों अथवा किसी अन्य अत्यधिक परावर्तक रासायनिक सिंथेटिक सामग्री का उपयोग नहीं किया जा सकता। बैनर की अनुमति नहीं दी जा सकती, किंतु विशेष आयोजनों/मेलों आदि के लिए इन्हें तीन से अधिक दिन तक नहीं लगाया जा सकता है। धरोहर क्षेत्र के भीतर पट विज्ञापन (होर्डिंग), पर्चे के रूप में कोई विज्ञापन अनुमत नहीं होगा।
- संकेतक को इस प्रकार रखा जाना चाहिए कि वे धरोहर संरचना या स्मारक को देखने में बाधा न बने और पदयात्री के चलने की दिशा में लगे हों।
- स्मारक की परिधि में फेरीवालों और विक्रेता को खड़े होने की अनुमति न दी जाए।

7.2 अन्य संस्तुतियां:

- व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है।
- दिव्यांगजन विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार के लिए व्यवस्था प्रदान की जाएगी।
- इस क्षेत्र को प्लास्टिक और पॉलिथीन मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाएगा।
- सांस्कृतिक विरासत स्थलों और परिसीमा के संबंध में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश को लिंक <https://ndma.gov.in/images/guidelines/Guidelines-Cultural-Heritage.pdf> में देखा जा सकता है।

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL MONUMENTS AUTHORITY**

In exercise of the powers conferred by section 20 E of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 read with Rule (22) of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye- laws and Other Functions of the Competent Authority) Rule, 2011, the following draft Heritage Bye-laws for the Centrally Protected Monument “**The carvings, inscriptions and pillar on the Urbasi Island**”, **Locality- Gauhati, District– Kamrup, Assam**” prepared by the Competent Authority, as required by Rule 18, sub-rule (2) of the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, for inviting objections or suggestions from the public;

Objections or suggestions, if any, may be sent to the Member Secretary, National Monuments Authority (Ministry of Culture), 24 Tilak Marg, New Delhi or email at hbl-section@nma.gov.in within thirty days of publication of the notification;

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft bye-laws before the expiry of the period, so specified, shall be considered by the National Monuments Authority.

Draft Heritage Bye-Laws

CHAPTER I

PRELIMINARY

1.0 Short title, extent and commencements:-

- (i) These bye-laws may be called the National Monuments Authority bye-laws 2021 of Centrally Protected Monument “The carvings, inscriptions and pillar on the Urbasi Island”, Locality- Gauhati, District– Kamrup, Assam.
- (ii) They shall extend to the entire prohibited and regulated area of the monuments.
- (iii) They shall come into force with effect from the date of their publication.

1.1 Definitions:-

- (1) In these bye-laws, unless the context otherwise requires, -
 - (a) “ancient monument” means any structure, erection or monument, or any tumulus or place or interment, or any cave, rock sculpture, inscription or monolith, which is of historical, archaeological or artistic interest and which has been in existence for not less than one hundred years, and includes-
 - (i) The remains of an ancient monument,
 - (ii) The site of an ancient monument,
 - (iii) Such portion of land adjoining the site of an ancient monument as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving such monument, and
 - (iv) The means of access to, and convenient inspection of an ancient monument;

- (b) “archaeological site and remains” means any area which contains or is reasonably believed to contain ruins or relics of historical or archaeological importance which have been in existence for not less than one hundred years, and includes-
- (i) Such portion of land adjoining the area as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving it, and
 - (ii) The means of access to, and convenient inspection of the area;
- (c) “Act” means the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958);
- (d) “archaeological officer” means an officer of the Department of Archaeology of the Government of India not lower in rank than Assistant Superintendent of Archaeology;
- (e) “Authority” means the National Monuments Authority constituted under Section 20 F of the Act;
- (f) “Competent Authority” means an officer not below the rank of Director of archaeology or Commissioner of archaeology of the Central or State Government or equivalent rank, specified, by notification in the Official Gazette, as the competent authority by the Central Government to perform functions under this Act:
 Provided that the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify different competent authorities for the purpose of section 20C, 20D and 20E;
- (g) “construction” means any erection of a structure or a building, including any addition or extension thereto either vertically or horizontally, but does not include any re-construction, repair and renovation of an existing structure or building, or, construction, maintenance and cleansing of drains and drainage works and of public latrines, urinals and similar conveniences, or the construction and maintenance of works meant for providing supply or water for public, or, the construction or maintenance, extension, management for supply and distribution of electricity to the public or provision for similar facilities for public;
- (h) “floor area ratio (FAR)” means the quotient obtained by dividing the total covered area (plinth area) on all floors by the area of the plot;

$$\text{FAR} = \text{Total covered area of all floors} \div \text{plot area};$$
- (i) “Government” means The Government of India;
- (j) “maintain”, with its grammatical variations and cognate expressions, includes the fencing, covering in, repairing, restoring and cleansing of protected monument, and the doing of any act which may be necessary for the purpose of preserving a protected monument or of securing convenient access thereto;
- (k) “owner” includes-
- (i) a joint owner invested with powers of management on behalf of himself and other joint owners and the successor-in-title of any such owner; and

- (ii) any manager or trustee exercising powers of management and the successor-in-office of any such manager or trustee;
 - (l) “preservation” means maintaining the fabric of a place in its existing and retarding deterioration.
 - (m) “prohibited area” means any area specified or declared to be a prohibited area under section 20A;
 - (n) “protected area” means any archaeological site and remains which is declared to be of national importance by or under this Act;
 - (o) “protected monument” means any ancient monument which is declared to be of national importance by or under this Act;
 - (p) “regulated area” means any area specified or declared to be a regulated area under section 20B;
 - (q) “re-construction” means any erection of a structure or building to its pre-existing structure, having the same horizontal and vertical limits;
 - (r) “repair and renovation” means alterations to a pre-existing structure or building, but shall not include construction or re-construction;
- (2) The words and expressions used herein and not defined shall have the same meaning as assigned in the Act.

CHAPTER II

Background of the Ancient Monuments and Archaeological sites and remains (AMASR) Act, 1958

2.0 Background of the Act:-The Heritage Bye-Laws are intended to guide physical, social

and economic interventions within 300m in all directions of the Centrally Protected Monuments. The 300m area has been divided into two parts (i) the **Prohibited Area**, the area beginning at the limit of the Protected Area or the Protected Monument and extending to a distance of one hundred meters in all directions and (ii) the **Regulated Area**, the area beginning at the limit of the Prohibited Area and extending to a distance of two hundred meters in all directions.

As per the provisions of the Act, no person shall undertake any construction or mining operation in the Protected Area and Prohibited Area while permission for repair and renovation of any building or structure, which existed in the Prohibited Area before 16 June, 1992, or which had been subsequently constructed with the approval of DG, ASI and; permission for construction, re-construction, repair or renovation of any building or structure in the Regulated Area, must be sought from the Competent Authority.

2.1 Provision of the Act related to Heritage Bye-laws: - The AMASR Act, 1958, Section 20E and Ancient Monument and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye-Laws and other function of the Competent Authority) Rules 2011, Rule 22, specifies framing of Heritage Bye-Laws for Centrally Protected Monuments. The Rule provides parameters for the preparation of Heritage Bye-Laws. The National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, Rule 18 specifies the process of approval of Heritage Bye-laws by the Authority.

2.2 Rights and Responsibilities of Applicant:-The AMASR Act, Section 20C, 1958, specifies details of application for repair and renovation in the Prohibited Area, or construction or re- construction or repair or renovation in the Regulated Area as described below:


- (a) Any person, who owns any building or structure, which existed in a Prohibited Area before 16th June, 1992, or, which had been subsequently constructed with the approval of the Director-General and desires to carry out any repair or renovation of such building or structure, may make an application to the Competent Authority for carrying out such repair and renovation as the case may be.
- (b) Any person, who owns or possesses any building or structure or land in any Regulated Area, and desires to carry out any construction or re-construction or repair or renovation of such building or structure on such land, as the case may be, make an application to the Competent Authority for carrying out construction or re-construction or repair or renovation as the case may be.
- (c) It is the responsibility of the applicant to submit all relevant information and abide by the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of the Authority and Conduct of Business) Rules, 2011.

CHAPTER III

Location and Setting of the Centrally Protected Monument: The carvings, inscriptions and pillar on the Urbasi Island”, Locality- Gauhati, District– Kamrup, Assam

3.0 Location and Setting of the Monument:

- It is situated at **Google Map Coordinates:** Lat: 26°11'26.93"N; Long: 91°44'59.40"E.
- The small river island, Urbasi island (presently known as Urvashi island) is situated amidst the south bank of Brahmaputra river in Baruah Souk in north Guwahati.
- It can be reached by a boat from Umananda ferry ghat.
- Guwahati Bus Station is at a distance of about 11km from Umananda ferry ghat.
- Guwahati Railway Station is 3km south of the ghat.
- Lokapriya Gopinath Bardoloi (Guwahati) Airport is 27 km to the west of the monument.



3.1 Protected boundary of the Monument:

It may be seen at **Annexure-I**.

3.1.1 Notification Map/ Plan as per ASI records:

It may be seen at **Annexure-II**.

3.2 History of the Monument:

The Kalikapurana of the 9th century AD has it that the three islands of Umananda, Urvashi and Karmanasha formed one landmass with the name of Bhasmachala, and amidst existed the Urvashi Kunda (*Choudhury, 1985*). The 16th century Yogini Tantra has stated that a natural calamity caused the Urvashi Kunda to be destroyed by the Brahmaputra and the current of the river became slow indicating widening of its course as a result of the dismemberment of the Bhasmachala into three islands. The names of these three islands carry immense legendary importance with their deep religio-cultural impact on the people. They are associated with popular mythical episodes linking Assam with the Indian epics and are inspiring sources of national integration.

3.3 Description of Monument (architectural features, elements, materials, etc.):

The rocks of the monument bear significant number of sculptural carvings, inscription and figures. Images of Surya; Devi with folded hands; Siva linga with lotus; Siva with Nandi and devotee; seated image of Ganesa; Vishnu with two devotees and panel of Dasavatara (the ten incarnations of Vishnu) are beautifully carved on the rocks. There are two other rock inscriptions engraved in late *Brahmi* and *Nagari* characters. There are also traces of some carved alignments, rock-cut *sopānas* and small holes, meant probably for iron clamps and wooden posts or nails. The alignment, *sopānas* and holes indicate the existence of an earlier temple at this site. The Siva linga with lotus indicates that the temple had its *garbhagriha* and *mandapa*. The apsidal layout of this temple is still prominent and the rock-cut stairway leading to this temple to its north can still be seen.

3.4 Current Status:

3.4.1 Condition of the Monument- condition assessment:

The monument is in a good state of preservation, in spite of the fact that it lays submerged under water almost half of the year (9 months) and again emerges from underwater for a short period of time. It lies amidst the south bank of the Brahmaputra river, with the Umananda island in the north and the Karmanasha island in the south-west.

3.4.2 Daily footfalls and occasional gathering numbers:

Local tourists and visitors are not allowed in the monument, although a ferry runs from the Umananda ferry ghat to the Umananda island.

CHAPTER IV
Existing zoning, if any, in the local area development plans

4.0 Existing zoning:

- a. As per the, Comprehensive Master Plan for Guwahati Metropolitan Area, 2025:
 - i. In the Existing Predominant Land Use Map – the monument is placed under “Open space/recreation/vacant land”, specified as – „Vacant land“.
 - ii. In the Proposed Land use zoning plan-2025 — an aerial ropeway is proposed connecting Guwahati city and North Guwahati, in the regulated area of the Urvashi island.
- b. No specific zoning has been done in the local act.

4.1 Existing Guidelines of the local bodies:

It may be seen at **Annexure-III**.

CHAPTER V

Information as per First Schedule, Rule 21(1)/ total station survey of the Prohibited and the Regulated Areas on the basis of boundaries defined in Archaeological Survey of India records.

5.0 Contour Plan of:

Survey plan of **The carvings, inscriptions and pillar on the Urbasi Island, Locality- Gauhati, District– Kamrup, Assam** may be seen at **Annexure-IV**.

5.1 Analysis of surveyed data:

5.1.1 Prohibited Area and Regulated Area details and their salient features:

- Protected Area (approx.): 380405 sq m (94 acre)
- Prohibited Area (approx.) : 5445914.47 sq m (1345 acre)
- Regulated Area (approx.) : 24852023 sq m (6141 acre)

Salient features:

The monument lies amidst the south bank of the Brahmaputra River, with the Umananda island in the north and the Karmanasha island in the south-west. Both the banks of this river contain a good number of rock-cut sculptures.

5.1.2 Description of built up area:

Prohibited Area:

- **North:** Brahmaputra River
- **South:** Brahmaputra River
- **East:** Brahmaputra River
- **West:** Brahmaputra River

Regulated Area:

- **North:** Umananda Island, Brahmaputra River
- **South:** Karmanasha Island, Brahmaputra River
- **East:** Brahmaputra River
- **West:** Brahmaputra River

5.1.3 Description of green/open spaces:

Prohibited Area:

- **North:** Brahmaputra River
- **South:** Brahmaputra River
- **East:** Brahmaputra River
- **West:** Brahmaputra River

Regulated Area:

- **North:** Umananda Island, Brahmaputra River
- **South:** Karmanasha Island, Brahmaputra River
- **East:** Brahmaputra River
- **West:** Brahmaputra River

5.1.4 Area covered under circulation- roads, footpaths etc.:

Around the monument upto 1.2km there are no roads and pathways, since it is in the river area.

5.1.5 Heights of buildings (Zone wise):

- **North:** The maximum height is 0m
- **South:** The maximum height is 0m
- **East:** The maximum height is 0m
- **West:** The maximum height is 0m

5.1.6 State protected monuments and listed Heritage Buildings by local Authorities, if available, within the Prohibited/Regulated Area:

The Umananda Temple (north of the monument), is a state protected monument.

5.1.7 Public amenities:

No public amenities are available at the monument.

5.1.8 Access to monument:

The three rocky islands of the Brahmaputra — Karmanasha, Urvashi and Umananda, are adjacent to the old city centre. A ferry service operates from Umananda ghat to the Umananda Island. The monument is closed for tourists and local people.

5.1.9 Infrastructure services (water supply, storm water drainage, sewage, solid waste management, parking etc.):

No infrastructure is available at the monument. Since this is a rocky island which remains submerged underwater half of the year, therefore, no provisions of infrastructure services are made.

5.1.10 Proposed zoning of the area as per guidelines of the Local Bodies:

As stated above.

CHAPTER VI

Architectural, historical and archaeological value of the monument

6.0 Architectural, historical and archaeological value:

The rocks of the monument bear significant number of sculptural carvings, inscription and figures. Images of Surya; Devi with folded hands; Siva linga with lotus; Siva with Nandi and devotee; seated image of Ganesa; Vishnu with two devotees and panel of Dasavatara (the ten incarnations of Vishnu) are beautifully carved on the rocks. There are two other rock inscriptions engraved in late *Brahmi* and *Nagari* characters. There are also traces of some carved alignments, rock-cut *sopānas* and small holes, meant probably for iron clamps and wooden posts or nails. The alignment, *sopānas* and holes indicate the existence of an earlier temple at this site. The Siva linga with lotus indicates that the temple had its *garbhagriha* and *mandapa*. The apsidal layout of this temple is still prominent and the rock-cut stairway leading to this temple to its north can still be seen.

6.1 Sensitivity of the monument (e.g. developmental pressure, urbanization, population pressure etc.):

There is no such development pressure, construction activity and other urban activities near the monument.

6.2 Visibility from the Protected Monument or Area and visibility from Regulated Area:

The monument is visible from all around.

6.3 Land-use to be identified:

There is no land available all around the monument, upto the prohibited and regulated area.

6.4 Archaeological heritage remains other than protected monument:

The Umananda temple in the Umananda Island is a protected monument of the state government of Assam.

6.5 Cultural landscapes:

The Umananda island to the north of the monument is another example of cultural landscape, which was one apart of the Urvashi island.

6.6 Significant natural landscapes that form part of cultural landscape and also help in protecting monuments from environmental pollution:

The Brahmaputra River flowing amidst the monument forms a significant natural landscape to the monument. Due to the monument lying submerged in river water almost half of the year, the carvings and inscriptions are getting eroded due to the brutalities of wind and water.

6.7 Usage of open space and constructions:

Monument is surrounded all around by water upto 1000m.

6.8 Traditional, historical and cultural activities:

No traditional, historical and cultural activities have been prevalent around the monument.

6.9 Skyline as visible from the monument and from Regulated Areas:

Clear sky; modern buildings and construction activity; trees and the vast Brahmaputra river can be seen from the monument and from the regulated area.

6.10 Traditional Architecture:

No traditional architecture is in extent around the monument.

6.11 Developmental plan, as available, by the local authorities:

It may be seen at **Annexure-V**.

6.12 Building related parameters:

(a) Height of the construction on the site: - The height of all buildings in the Regulated Area of the monument (No construction activity nearby, since it is a river area.)

(b) Floor Area: - No construction activity nearby, since it is a river area.

(c) Usage: - No construction activity nearby, since it is a river area.

(d) Façade design: - No construction activity nearby, since it is a river area.

(e) Roof design:-No construction activity nearby, since it is a river area.

(f) Building material:-No construction activity nearby, since it is a river area.

(g) Color: No construction activity nearby, since it is a river area.

6.13 Visitors facilities and amenities:-

No visitor facilities and amenities are found in the monument.

CHAPTER VII Site Specific Recommendations

7.1 Site Specific Recommendations:

a) Setbacks:

- The front building edge shall strictly follow the existing street line. The minimum open space requirements need to be achieved with setbacks or internal courtyards and terraces.

b) Projections:

- No steps and plinths shall be permitted into the right of way at ground level beyond the obstruction free' path of the street. The streets shall be provided with the obstruction free' path dimensions measuring from the present building edge line.

c) Signages:

- LED or digital signs, plastic fibre glass or any other highly reflective synthetic material may not be used for signage in the heritage area. Banners may not be permitted, but for special events/fair etc. it may not be put up for more than three days. No advertisements in the form of hoardings, bills within the heritage zone will be permitted.
- Signages should be placed in such a way that they do not block the view of any heritage structure or monument and are oriented towards a pedestrian.
- Hawkers and vendors may not be allowed on the periphery of the monument.

7.2 Other recommendations:


- Extensive public awareness programme may be conducted.
- Provisions for differently able persons shall be provided as per prescribed standards.
- The area shall be declared as Plastic and Polythene free zone.
- National Disaster Management Guidelines for Cultural Heritage Sites and Precincts may be referred at <https://ndma.gov.in/images/guidelines/Guidelines-Cultural-Heritage.pdf>

अनुलग्नक
ANNEXURES

अनुलग्नक-I
ANNEXURE - I

उर्वशी द्वीप पर उत्कीर्णन, शिलालेख और स्तंभ", स्थान- गुवाहाटी, जिला- कामरूप, असम की
संरक्षित चारदीवारी

Protected boundary of "The carvings, inscriptions and pillar on the Urbasi Island",
Locality- Gauhati, District- Kamrup, Assam



संस्मारक की अधिसूचना
NOTIFICATION OF THE MONUMENT

मूल अधिसूचना
Original Notification

इस स्मारक को 1918 में अधिसूचना सं. 6916ई, दिनांक 10 सितंबर, 1917, के नाम से- उर्वशी द्वीप पर नक्काशी, शिलालेख और स्तंभ

The 6th February 1918.

No. 852E.—In accordance with the provisions of section 8, sub-section (3), of the Ancient Monuments Preservation Act, 1904 (VII of 1904), the Chief Commissioner is pleased to confirm the Notification No. 6916E., dated the 10th September 1917, published in the *Assam Gazette*, of the 12th September 1917, in which the following monument in the district of Kamrup was declared to be a protected monument within the meaning of the said Act:—

Serial No.	Locality.	Name of monument.
1	Gauhati	The carvings, inscriptions and pillar on the Urbasi Island.

A. B. EDWARDS,
Offg. Second Secretary to the Chief Commissioner of Assam.

मूल अधिसूचना की टाइप की गई प्रति

6 फरवरी 1918

प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, 1904 (1904 का VII) की धारा 3, उप-धारा (3) के प्रावधानों के अनुसार, मुख्य आयुक्त अधिसूचना संख्या 6916ई, दिनांक 10 सितंबर, 1917 की पुष्टि करते हुए प्रसन्न हैं। 12 सितंबर 1917 के असम राजपत्र में प्रकाशित, जिसमें कामरूप जिले में निम्नलिखित स्मारक को उक्त अधिनियम के अर्थ में संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था।

सीरीयल नम्बर	इलाका	स्मारक का नाम
1	गुवाहाटी	उर्वशी पर नक्काशियां, शिलालेख और स्तंभ द्वीप।

ए.आर. एडवर्ड्स

ऑफग। असम के मुख्य आयुक्त के द्वितीय सचिव

स्थानीय निकायों के मौजूदा दिशानिर्देश / स्थिति:

I. गुवाहाटी महानगर क्षेत्र के लिए मास्टर प्लान- 2025 (समर्थन दस्तावेजों के साथ योजना का विवरण)
- भाग I: राज्य सरकार द्वारा विरासत भवन / स्मारक (भाग 10, खंड 10.1.2) की सूची के लिए एक विरासत संरक्षण समिति स्थापित करने का स्पष्ट उल्लेख है।

II गुवाहाटी महानगर क्षेत्र के लिए मास्टर प्लान- 2025 (भूमि उपयोग क्षेत्रीकरण और विकास नियंत्रण विनियमन) - भाग II में निम्नलिखित प्रावधान रखे गए हैं-

• विरासत भवनों और विरासत परिसर के संरक्षण के लिए विनियमन।

क) धारा 13.5 (1) के अनुसार - यह विनियमन उन इमारतों, कलाकृतियों, संरचनाओं, क्षेत्रों और ऐतिहासिक और/या सौंदर्य और/या वास्तुशिल्प और/या सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों पर लागू होगा (इसके बाद सूचीबद्ध इमारतों/विरासत भवनों के रूप में संदर्भित और सूचीबद्ध परिसर/विरासत परिसर) जो राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में सूचीबद्ध हैं। यह सूची सरकार द्वारा समय-समय पर पूरक की जाएगी। और सक्षम प्राधिकारी, बशर्ते कि सूची के पूरक होने से पहले, जनता से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे और क्रमशः सरकार और/या सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत विचार किया जाएगा। सूचीबद्ध भवनों / परिसर को वर्गीकृत किया जा सकता है।

ख) धारा 13.5 (2) के अनुसार - विकास/पुनर्विकास/मरम्मत आदि पर प्रतिबंध - कोई विकास/पुनर्विकास या परिवर्धन, परिवर्तन, मरम्मत, भवनों का रंग रोगन, विशेष सुविधाओं के प्रतिस्थापन या पलस्तर या किसी भी हिस्से के विध्वंस सहित नवीनीकरण सक्षम प्राधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना उक्त सूचीबद्ध भवनों या सूचीबद्ध परिसरों को आगे अनुमति दी जाएगी। ऐसी कोई अनुमति देने से पहले सक्षम प्राधिकारी विरासत संरक्षण समिति से परामर्श करेगा। बशर्ते कि सूचीबद्ध इमारतों (या सूचीबद्ध परिसर के भीतर इमारतों) को गिराने या बड़े बदलाव/परिवर्धन के लिए कोई अनुमति देने से पहले जनता से आपत्ति और सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत विचार किया जाएगा।

ग) धारा 13.5 (4) के अनुसार - हेरिटेज परिसर में शामिल भवन परिसर में स्काईलाइन (बिना किसी उच्च वृद्धि विकास के) को बनाए रखेगा, जैसा कि आसपास के क्षेत्र में मौजूद हो सकता है, ताकि मूल्य और सुंदरता को कम या नष्ट न किया जा सके। उक्त हेरिटेज बिल्डिंग / हेरिटेज परिसर। परिसर के भीतर विकास विरासत संरक्षण समिति की सलाह पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

घ) धारा 13.5 (5) के अनुसार - संकेत और बाहरी प्रदर्शन संरचनाएं - वास्तुकला, सौंदर्य, ऐतिहासिक या विरासत महत्व के भवनों पर कोई विज्ञापन संकेत या बाहरी प्रदर्शन संरचनाओं की अनुमति नहीं

दी जाएगी, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा सलाह पर तय किया जा सकता है। विरासत संरक्षण समिति या सरकारी भवनों पर, जैसे कि सरकारी भवनों के मामले में केवल बाहरी प्रदर्शन संरचनाओं के विज्ञापन संकेतों की अनुमति दी जा सकती है यदि वे उक्त भवनों के लिए गतिविधियों से संबंधित हैं, संबंधित कार्यक्रमों के अपने उद्देश्य। बशर्ते कि यदि विरासत संरक्षण समिति सलाह देती है, तो सक्षम प्राधिकारी बाहरी प्रदर्शन संरचना के किसी भी चिन्ह के लिए अनुमति देने से इंकार कर देगा।

- नए निर्माण के लिए विनियमित क्षेत्र के भीतर अनुमेय भूमि आवृत्त, तल क्षेत्र अनुपात (एफएआर)/ तल स्थान अनुपात (एफएसआई) और ऊंचाई; और इमारत के चारों ओर छोड़ा गया क्षेत्र:

निर्माण के सामान्य नियम सभी विकास योजनाओं के लिए गुवाहाटी महानगर क्षेत्र - 2025 (भूमि उपयोग क्षेत्र और विकासात्मक नियंत्रण विनियमन) - भाग II के मास्टर प्लान के अनुसार लागू होंगे।

तल क्षेत्र अनुपात (एफएआर)/ तल स्थान अनुपात (एफएसआई) के प्रावधान यहां लागू नहीं होते हैं, क्योंकि स्मारक ब्रह्मपुत्र नदी के पानी के बीच स्थित है, जहां विनियमित क्षेत्र तक कोई निर्माण गतिविधि नहीं है।

- स्थानीय निकायों के पास उपलब्ध धरोहर उपनियम/नियम/दिशानिर्देश, यदि कोई हो।

गुवाहाटी महानगर विकास प्राधिकरण ने गुवाहाटी महानगर क्षेत्र - 2025 के लिए मास्टर प्लान - 2025 (सहायक दस्तावेजों के साथ योजना का विवरण) - भाग-I में कई दृष्टिकोण और लक्ष्य निर्धारित किए हैं। वे हैं:

क) लक्ष्य 1: गुवाहाटी के संवेदनशील प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए- शहर में पहाड़ियों, जल निकायों (बिल्स) और विशाल ब्रह्मपुत्र नदी के रूप में प्रमुख प्राकृतिक विशेषताएं हैं। जहां तक संभव हो, इन क्षेत्रों को उनकी प्राचीन महिमा में संरक्षित किया जाना है और हवा और पानी में उच्च गुणवत्ता वाली स्वच्छता हासिल की जानी है।

ख) लक्ष्य 5: राज्य की राजधानी के अनुरूप एक छवि बनाना: दीपर बिल, बड़े पारिस्थितिक हरित क्षेत्र और पृष्ठभूमि में पहाड़ियों के साथ, राज्य की राजधानी को नई छवि प्रदान करना। शहर के विभिन्न हिस्सों में वितरित मनोरंजन और खेल परिसर। राष्ट्रीय राजमार्ग बाइपास पर एक उच्च गुणवत्ता वाला शहरी डिजाइन कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जिसमें बहुमंजिला व्यावसायिक और संस्थागत परिसर, कामाख्या पहाड़ियों और खरगेली पहाड़ियों के बीच नदी विकास क्षेत्र और नए विकास क्षेत्र में नदी के किनारे शहर की सुंदरता के लिए प्राकृतिक रूप से जोड़ा जाएगा।

- खुला स्थान:

इस स्मारक के संबंध में खुले स्थानों के लिए उपर्युक्त मास्टर प्लान में कोई विशिष्ट संस्तुति नहीं की गई है।

I गुवाहाटी महानगर क्षेत्र के लिए मास्टर प्लान- 2025 (समर्थक दस्तावेजों के साथ योजना का विवरण)

- भाग I के अनुसार, निम्नलिखित का उल्लेख किया गया है:

क) भाग 7.4 में कहा गया है कि- ब्रह्मपुत्र नदी के चारों ओर एक विशाल और सुंदर विस्तार है जो इसे नदी तट विकास के लिए आदर्श बनाता है। नदी के साथ मौजूदा क्षेत्र में नदी विकास क्षेत्र को चिह्नित किया गया है। नए विकास के क्षेत्रों में, CRZ III के अनुसार, 200 मीटर चौड़ी हरित पट्टी को मनोरंजक हरित क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया है। इसके लिए भूमि उपयोग योजना में क्षेत्र दर्शाया गया है। क्षेत्र के भाग में बैठने के साथ भूमि परिदृश्य के आधार पर नदी तट क्षेत्र को विकसित किया जा सकता है और जल विस्तार पर पर्यटकों और स्थानीय आबादी के लिए आकर्षक लेजर शो आयोजित किए जा सकते हैं। इस प्रकार यह उर्वशी द्वीप के लिए एक प्रमुख दृश्य बिंदु प्रदान कर सकता है।

ख) व्यापक मास्टर प्लान की धारा 11 (उप-धारा 11.2.3.7) में- ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे नदी तट (रिवर फ्रंट) विकास की परिकल्पना नदी के मनोरम दृश्य को देखने और इसके साथ मनोरंजक हरित पट्टी के साथ एकीकृत करने के लिए की गई है। एम.जी. और डी.जी. रोड के साथ-साथ नदी की ओर मौजूदा विकास नदी विकास क्षेत्र के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। साथ ही नदी के किनारे नए विकास वाले क्षेत्रों में, नदी की शांति बनाए रखने के लिए 200 मीटर चौड़ी पट्टी प्रस्तावित है।

ग) बाहरी मनोरंजन में बढ़ती रुचि, नदी के सामने के ये विकास अधिक आगंतुकों और स्थानीय लोगों को आकर्षित करेंगे, और इस तरह के आकर्षक नदी तट (रिवर फ्रंट) एक चुंबक के रूप में कार्य कर सकते हैं जो लोगों और व्यवसायों को शहर में रखते हैं और फैलाव का प्रतिकार करते हैं।

II गुवाहाटी महानगर क्षेत्र के लिए व्यापक मास्टर प्लान, 2025 के अनुसार:

I योजना में- 'शहरी नवीनीकरण के लिए चिन्हित क्षेत्र'- उर्वशी द्वीप के दक्षिण तट को "शहरी मनोरंजन क्षेत्र" के तहत रखा गया है।

II 'प्रस्तावित मनोरंजन सुविधाओं' की योजना में - उर्वशी द्वीप के दक्षिण तट को "नगर मनोरंजनात्मक क्षेत्र" के अंतर्गत रखा गया है।

III 'प्रमुख शहर स्तर के प्रस्तावों' की योजना में - उर्वशी द्वीप के दक्षिण तट को "रिवर फ्रंट डेवलपमेंट" के तहत रखा गया है।

➤ **प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र के भीतर गतिशीलता-सड़कों के सामने, पैदल मार्ग, गैर-मोटर चालित परिवहन, आदि।**

यह स्मारक ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट के बीच उत्तरी गुवाहाटी के बरुआ सूक में स्थित है। बस, कार, बाइक आदि किसी भी मोटर चालित परिवहन द्वारा उमानंद घाट तक पहुंचना पड़ता है। उमानंद घाट से स्मारक तक 1.2 किमी है जिसके लिए केवल नावों की अनुमति है।

➤ **सड़क दृश्य, अग्रभाग और नया निर्माण**

उपर्युक्त अधिनियम और विनियमों में स्मारक के पास गलियों, अग्रभागों और नए निर्माण के संबंध में कोई विशिष्ट विवरण नहीं दिया गया है।

Existing Guidelines of the local bodies / Status of:

- I. In the Master Plan for Guwahati Metropolitan Area- 2025 (Detail of Plan with supporting documents) — Part I: It is clearly mentioned to establish a Heritage Conservation Committee by the state government for listing of the heritage building/monument (Part 10, section 10.1.2.).
- II. In the Master Plan for Guwahati Metropolitan Area- 2025 (Land use zoning and Development control Regulation)- Part II, the following provisions are laid regarding-

➤ **Regulations for Conservation of Heritage Buildings and Heritage Precincts.**

- a. As per the Section 13.5 (1) - This regulation would apply to those buildings, artefacts, structures, areas and precincts of historic and/ or aesthetic and/or architectural and/or cultural significance (herein after referred as listed buildings/ heritage buildings and listed precincts/ Heritage precincts) which are listed in a notification issued by state Govt. This list shall be supplemented from time to time by Govt. and the Competent Authority, provided that before the list is supplemented, objections and suggestions from the public shall be invited and duly considered by the Govt., and/or the Competent Authority respectively. The listed Buildings /Precincts could be graded.
- b. As per the Section 13.5 (2)- **Restriction on Development / Redevelopment / Repairs etc.** - No development/redevelopment or of additions, alteration, repairs, renovation including the painting of buildings, replacement of special features or plastering or demolition of any part there of the said listed buildings or listed precincts shall be further allowed except with prior written permission of the Competent Authority. Before granting any such permission the competentAuthority shall consult the Heritage Conservation Committee. Provided that before granting any permission for demolition or major alteration/ addition to listed buildings (or buildings within listed precincts) objection and suggestion from the public shall be invitedand duly considered by the Competent Authority.
- c. As per the Section 13.5 (4)- Building included in Heritage Precincts shall maintain the skyline in the precincts (without any-high rise development) as may be existing in the surrounding area, so as not to diminish or destroy the value and beauty of the said Heritage building/Heritage precincts. The development within the precincts shall be in accordance with the guidelines framed by the Competent Authority on the advice of the Heritage Conservation Committee.

d. As per the Section 13.5 (5)- **Signs and Out Door Display Structures**- No advertising sign or outdoor display structures shall be permitted on buildings of architectural, aesthetic, historical or heritage importance as may be decided by the Competent Authority, on the advice of the Heritage Conservation Committee or on Government buildings, such that in the case of Government buildings only advertising signs of outdoor display structures may be permitted if they relate to the activities for the said buildings, own purposes of related programmes. Provided that if the Heritage Conservation Committee so advises, the Competent Authority shall refuse permission for any sign of outdoor display structure.

➤ **Permissible Ground Coverage, FAR/FSI and heights within the regulated area for new construction; and setbacks:**

The General rules of construction shall be applicable for all development schemes as per the Master plan for Guwahati Metropolitan Area- 2025 (Land use zoning and developmental control regulation) - Part II.

The provisions of FAR/FSI does not apply over here, since the monument is located amidst the Brahmaputra river water, where there is no construction activity nearby upto the regulated area.

➤ **Heritage byelaws/ regulations/ guidelines, if any, available with localbodies.**

The Guwahati Metropolitan Development Authority has laid down several visions and goals in the Master Plan for Guwahati Metropolitan Area- 2025 (Detail of Plan with supporting documents)- Part I. They are:

- a. Goal 1: To conserve Guwahati's Sensitive Natural Environment- the city has major natural features in the form of hills, water bodies (Bils) and the vast Brahmaputra River. These areas, as far as possible, are to be conserved in their pristine glory and a high quality of cleanliness in air and water are to be achieved.
- b. Goal 5: to create an image befitting that of the state capital: Dibrugarh, with the large ecological green area and hills in the background, to provide new image to the state capital. Recreation and sports complexes distributed in different parts of the city. A high quality urban design corridor to be developed on the National Highway by-pass with multi-storeyed business and institutional complexes, river Development zones between Kamakhya hills and Khargeli hills and all along the river stretch in the new development area to add to the natural beauty of the city.

➤ **Open spaces:**

No specific recommendation has been made in the above stated master plan for open spaces, in respect of this monument.

- I. As per the Master Plan for Guwahati Metropolitan Area- 2025 (Detail of Plan with supporting documents)- Part I, the following has been mentioned:
 - a. In Part 7.4 it is stated that- River Brahmaputra has a vast and beautiful expanse all along it which makes it ideal for river front development. The River Development Zone has been marked in the existing area along the river. In the areas for new developments, as per CRZ III, a 200 m wide green belt has been marked as recreational green. Area for the same is indicated in the land use plan. The river-front area may be developed based on a landscape plan with seating in part of the area and on the water expanse, attractive laser shows could be organized for tourists and for the local population. This can thus provide a major viewing point for the Urvashi Island.
 - b. In Section 11 (sub-section 11.2.3.7)- of the Comprehensive Master Plan- The River front development along the river Brahmaputra is envisaged to celebrate the beauty of the river and integrate it with the recreational green belt along it. The existing developments along the MG and DG road towards the river side shall make way for the river development zone. Also in areas on new development along the river, a 200-m wide belt is proposed to maintain the serenity of the river.
 - c. Growing interest in outdoor recreation, these river front developments will attract more visitors and local people, and such attractive riverfronts can thus, act as a magnet that keeps people and businesses downtown and counteracts sprawl.
- II. As per the, Comprehensive Master Plan for Guwahati Metropolitan Area, 2025:
 - i. In the plan for- „Area Identified for urban renewal“ – the south bank to the Urvashi Island is placed under “Urban Recreational Area”.
 - ii. In the plan for „Proposed Recreational Facilities“ – the south bank to the Urvashi Island is placed under “City Recreational Area”.
 - iii. In the plan for „Major City level Proposals“ – the south bank to the Urvashi Island is placed under “River Front Development”.

➤ **Mobility within the prohibited and regulated area- roads facing, pedestrian ways, non-motorised transport, etc.**


The monument is situated amidst the south bank of the Brahmaputra river, in Baruah Souk in North Guwahati. One has to reach Umananda ferry ghat by any motorised transport like bus, cars, bikes, etc. From Umananda ghat to the monument is 1.2km for which boats are only allowed.

➤ **Streetscapes, Facades and New construction.**

There is no specific account made in the above said act and regulations regarding streetscapes, facades and new construction near the monument.

अनुलग्नक V
ANNEXURE-V

स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई विकास योजना:
Development plan as provided by the local authorities



स्मारक उर्वशी द्वीप पर उत्कीर्णन, शिलालेख और स्तंभ", एवं उसके आसपास के चित्र:

स्थान- गुवाहाटी, जिला- कामरूप, असम

Images of the Monument The carvings, inscriptions and pillar on the Urbasi Island",
Locality- Guwahati, District- Kamrup, Assam and its Surroundings



चित्र 1: उर्वशी द्वीप पर उत्कीर्णन, शिलालेख और स्तंभ

Plate 1: The carvings, inscriptions and pillar on the Urbasi Island



चित्र 2: ब्रह्मपुत्र नदी के पानी में डूबा हुआ स्मारक

Plate 2: The monument lying submerged in Brahmaputra river water



चित्र 3: स्मारक पर शिलालेख और उत्कीर्णन
Plate 3: The inscriptions and carvings on the monument



चित्र 4: ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी किनारे से देखा जा सकने वाला स्मारक।
Plate 4: The monument as can be seen from the south bank of the Brahmaputra River



चित्र 5: स्मारक पर स्तंभ जीर्णशीर्ण अवस्था में
Plate 5: The pillar on the monument in a deteriorated condition



चित्र 6: ब्रह्मपुत्र नदी के पानी के बीच स्मारक
Plate 6: The monument amidst the Brahmaputra river water